

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्रएवंसहा./आंधी-तूफान/2022-23/स्वीकृति/2022/2914-20

दिनांक: 07/12/2022

-: आदेश :-

तहसील कार्यालय अरनोद द्वारा उनके तहसील क्षेत्र में दिनांक 05.07.2022 को आंधी-तूफान से कच्चा मकान आंशिक क्षति पर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान से कच्चा मकान आंशिक क्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं	पीड़ित का नाम मय पता	दुर्घटना का स्थान व विवरण	क्षतिग्रस्त मकान का प्रकार	स्वीकृत किये जाने वाली राशि	वि.वि.
1	श्री जीवनलाल पिता उँकार मीणा	देपुर, आंधी-तूफान	कच्चा आंशिक	3200	AR/PART/2022/018797
2	श्री नन्दा पिता दीपा	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	कच्चा आंशिक	3200	AR/PART/2022/040202
3	श्री जसवंत पिता सरदारा	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	कच्चा आंशिक	3200	AR/PART/2022/039418
4	श्रीमती अणदु पति अशोक मीणा	प्रतापपुरा, आंधी-तूफान	कच्चा आंशिक	3200	AR/PART/2022/020402
				12800	

(अक्षरे बारह हजार आठ सौ रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता, 07- आंशिक क्षतिग्रस्त घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्रएवंसहा./आंधी-तूफान/2022-23/स्वीकृति/2022/2914-20

दिनांक: 07/12/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी टरनोद।
- तहसीलदार, टरनोद।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़